न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपीलसंख्याः 05/2018
जीसीएमएस संख्याः 2018/00057

निर्णय दिनांक 07.08.2025

1. पुराराम पुत्र श्री नत्थाराम जाति कुम्हार निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
2. हड़मानराम पुत्र श्री नत्थाराम जाति कुम्हार निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
3. राजूराम पुत्र श्री नत्थाराम जाति कुम्हार निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
4. धुड़ाराम पुत्र श्री नत्थाराम जाति कुम्हार निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
5. घासीराम पुत्र श्री उदाराम जाति कुम्हार निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
6. नैनूराम पुत्र श्री उदाराम जाति कुम्हार निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
7. सोनाराम पुत्र श्री उदाराम जाति कुम्हार निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
8. सुखराम पुत्र श्री उदाराम जाति कुम्हार निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. जेठाराम पुत्र श्री शेराराम जाति जाति कुम्हार निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखा।

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 01–12–2017

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र शिमला, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 01–12–2017 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से एकतरफा तौर पर नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके मैनसर तहसील नोखा के खसरा नम्बर 915, 916, 917 में स्थित है एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 की अपीलांट के चिपते कृषि भूमि खसरा नं. 913 014 1405/912 स्थित है एवं रेस्पोडेन्ट की अन्य भूमि खसरा नं. 908 है. जिसमें रेस्पोडेन्ट की ढाणी बनी हुई है. जिसमें आने जाने का रास्ता खसरा नं. 905 907. 1404/907 में से होते हुए खसरा नं. 908 में आवागमन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 करता है तथा इसी रास्ते का उपयोग कर अपने खेत खसरा नं. 914, 913 व 1405/912 में आवागमन पिता के समय से ही करता आ रहा है। रेस्पोडेन्ट के धारण की कृषि भूमि पूर्व में गेनाराम पुत्र पूर्णाराम के नाम से दर्ज रिकार्ड थी जो उनकी पैतृक कृषि भूमि थी जिसका बाद में गेनाराम की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र नत्थाराम ने उक्त भूमि को शेराराम, किसनाराम पुत्र कानाराम के वारिसान में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पारिवारिक सहमति से बाहमी बंटवारा के आधार पर विभक्त की जो खसरा नं. 905, 907, 908, 913, 914, 912 की भूमि है। उक्त भूमि रेस्पाडेन्ट सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि होने के कारण उसी में से आवागमन करते आ रहे हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कानून का अनुचित फायदा उठाकर अपीलान्टगण को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से अपीलान्ट के खेत में तहसीलदार नोखा से मिलीभगत करते हुए गलत मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवागमन का रास्ता पहले से ही विद्यमान है जिसका उक्त रिकॉर्ड में कोई अंकन नहीं किया एवं उसी आधार पर अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 917 के मध्य से रास्ता कायम कर खेत के दो टुकडें करने के आदेश पारित कर दिये जो हर प्रकार से काबिल खारिज के हैं जिसकी अपील प्रस्तुत है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 03–01–2017 को प्राप्त हुई उसके पश्चात प्रतिलिपी प्राप्त कर जानकारी की प्रथम दिनांक से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत की है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी बिन्दुओं को गौण रखते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर ही निस्तारित किया जाना चाहिए।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन करते हुए कहा अपीलांट की ढाणी खसरा नं. 915 में बनी हुई है अपीलांट का टयुबवेल खसरा नं. 916 में बना हुआ है। तथा खेत खसरा नं. 917 में बना हुआ है। उन्होने आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उसमें खसरा नम्बर 915 के चिपते 10 फीट का रास्ता कायम करने हेतु ईस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 160 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा कुल 800 वर्गमीटर अथवा 0.08 हैक्टर का रास्ता बिना मागे, बिना अनुतोष के कायम कर दिया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

चूंकि ग्राम पंचायत मैनसर की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है कि खसरा नम्बर 905, 907, 908, 1403, 1404 में पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के पैरा ा में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुरभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01—12—20217 निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियांद पर कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट तौर पर मियादं बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम में जो विलम्ब के कारण अंकित किये है वो मनगढत एवं संतोषजनक कारण नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया है। ऐसे में अपीलांट्स की अपील मियादं बाहर होने के कारण मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 913, 914, 1405/912 वाके रोही मैनसर तहसील नोखा स्थित है जिसके उत्तर दिशा में अपीलांट का खसरा नम्बर 915, 916, 917 स्थित है तथा खसरा नम्बर 915, 916, 917 में से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

होकर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट मैनसर से श्यामसर जाने वाली सडक से आते जाते है। अपीलांट के खसरा नम्बर 915, 916, 917 के दक्षिणी दिशा में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 913, 914, 1405/912 स्थित है अतः प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट मैनसर से श्यामसर जाने वाली सडक से उपरोक्त वर्णित अपीलांट के खसराजात में से होकर अपने उपरोक्त वर्णित खसराजात में आते जाते रहे है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट अपने उपरोक्त वर्णित खसराजात में काश्त करने पशुधन चराने आदि कार्यो के लिए उक्त खसराजात में से वर्षो से आता जाता रहा है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के श्यामसर सडक से उपरोक्त वर्णित खसराजात में आने जाने का सबसे निकटतम रास्ता अपीलांट के खसरा नम्बर 915, 916, 917 में से है अतः प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 915, 916, 917 में से रास्ता कायम करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त रास्ते हेतु कर बार अपीलांट से निवेदन किया परन्तु अपीलांट ने उक्त रास्ता देने बाबत इंकार कर दिया। इसलिए प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ता कायम करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए की मंशा अनुसार एवं प्रावधानों के मध्यनजर ही नवीन रास्ता स्वीकृत किया है अब अपीलांट किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम मियांद प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना है। अपीलांट्स का कथन है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 03–01–2018 को प्राप्त हुई उसके पश्चात प्रतिलिपी प्राप्त कर जानकारी की प्रथम दिनांक से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत की है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये है वो संतोषजनक नही होने के कारण अपीलांट्स की अपील मियादं के बिन्दु

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर ही खारिज की जावे। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–12–2017 को पारित किया गया है एवं अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील दिनांक 18–01–2028 को प्रस्तुत की गई है। ऐसे में विधि का भी सिद्धान्त है कि जहां अपील प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब नहीं हो तथा एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया हो वहां पर पक्षकारों के मध्य गुणावगुण पर निर्णय किया जाना श्रेयस्कर है। अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसके काउण्टर में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दुरगुजर करते हुए अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, यह विधि द्वारा सुस्थापित है कि धारा 251 ए आरटीए के प्रार्थना पत्र का विनिश्चय करते समय अत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं निकटतम रास्ते के बिन्दुओं पर विचारण किया जात है। साथ ही यह देखा जाना है कि मौका रिपोर्ट नियम 69 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई है अथवा नहीं? इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उपरोक्त बिन्दुओं पर सकारण विवेचन नही किया है। मौका रिपोर्ट भी नियम 69 के प्रावधानो के अनुरूप नही है। मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गई है जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर किये गये है। मौका रिपोर्ट में रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का अभाव, रास्ते के विकल्प, सर्वोत्तम/निकटतम रास्ते का विकल्प इत्यादि बिन्दुओ के संबंध में कोई टिप्पणी नही की गई है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत मैनसर के पत्राक 467 दिनांक 11–01–2018 में यह उल्लेखित है कि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खसरा नम्बर 905, 907, 908, 1403, 1404 में पहले से ही कटाण का रास्ता चल रहा है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2032–35, 2051–52, 2057–60, 2041–44, मिलान क्षेत्रफल, पुराना एवं नया नक्शा से यह प्रकट होता है कि खसरा नम्बर 223 व 224 पूर्व में एक ही परिवार का एकल खेत था। अतः वरवक्त विभाजन इसमे रास्ता था और रेस्पोडेन्ट को यही से रास्ते की मांग करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अंतः इन तथ्यों पर कोई गौर नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में रास्ते की अत्यतिंक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का आभाव, एवं उपलब्ध विकल्पो में से सर्वोत्तम विकल्प इत्यादि बिन्दुओ पर बिना विवेचन किये अधुरी मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो कि पुष्टि योग्य नही है।

उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01–12–2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट मौका रिपोर्ट मंगवाकर रास्ते की अत्यतिंक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का आभाव, एवं उपलब्ध विकल्पो में से सर्वोत्तम विकल्प इत्यादि बिन्दुओ पर बिना विवेचन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक07.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर